न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति(अत्याचार निवारण) अधिनियम, शामली।

उपस्थितः–सुरेन्द्र कुमार राय (एच०जे०एस०)

J.O.Code–UP1761

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या –968/2026

नजाकत खान पुत्र मुनफैत आयु करीब 47 साल निवासी ग्राम नगला झंडा संसारपुर, थाना बेहट, जिला सहारनपुर। ––––––––––––आवेदक/अभियुक्त।

बनाम

राज्य ..... विपक्षी,

दिनांकः08.07.2026

1. प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र आवेदक/अभियुक्त **नजाकत खान पुत्र मुनफैत** की ओर सत्र परीक्षण सं०–**590/2006**, मु०अ०सं०–**35/2005** अन्तर्गत धारा–**302, 394, 411, 120 बी,** भा०दं०सं०, थाना **झिंझाना,** जनपद शामली के प्रकरण में धारा 482 बी०एन०एस०एस० के तहत अग्रिम जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि उपरोक्त प्रकरण में आवेदक गुरविन्दर उर्फ सोनी के द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 319 दं०प्र०सं० इस आशय का प्रस्तुत किया कि साक्षी पी०डब्लू० 1 गुरूबिन्द्र सिंह उर्फ सोनी ने इस मामले में अपने को परीक्षित कराते हुए यह बयान दिया है कि उसके भाई बल्ली उर्फ सतेन्द्र सिंह ने एक नया होटल रूफला व रमेश की साझेदारी में करनाल रोड पर केरटू में बनाना शुरू किया था, जो लगभग बन चुका था और उसका मुहुर्त 06.02.2005 को होना था, उसके भाई के साझीदार की नीयत खराब हो गयी और उन्होंने एक षड़यन्त्र के अंतर्गत होटल हड़प करने की प्लान कर ली। इस षड़यन्त्र के तहत दिनांक 03.02.2005 को रूफला, युसुफ, अजरा, अलीशेर ने करीब 5.00 बजे शाम को एक व्यक्ति को होटल पर बुलाया, जिसका नाम बलविन्दर है और जो हाजिर अदालत है। बलविन्दर ने होटल पर षड़यन्त्र के तहत उक्त रूफला आदि से कहा कि उसका ट्रैक्टर तिसंग रोड पर फंस गया है, उसको निकलवा दे। रूफला व उसका भाई इस अज्ञात व्यक्ति को पहले से जानते थे। रूफला ने उसके भाई सतेन्द्र उर्फ बल्ली से कहा कि वह उस आदमी के साथ चला जाये और उसका ट्रैक्टर निलवा दें। इस पर उसका भाई ट्रैक्टर को निलवाने के लिए अपनी मोटरसाईकिल पर पीछे बलविन्दर को बैठाकर चल दिया। अगले दिन उसके भाई की लाश राजपाल गुर्जर के खेत के सामने तिसंग रोड पर मिली। उसके भाई को गोली मारकर होटल हड़पने के लिए हत्या की गई है। थाने पर अभियुक्त रूफला, अजरा, अलीशेर, युसुफ व अन्य अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करायी गयी थी। आवेदक ने सभी व्यक्तियों के नाम विवेचक को बताये थे, किन्तु विवेचक ने मुल्जिमान से साज करके रूफला, अजरा, अलीशेर, युसुफ व नजाकत को आरोप पत्र से निकाल दिया। इन लोगों ने भी अपराध किया है। उक्त प्रार्थना पत्र पर न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त को तलब किये जाने का निवेदन किया गया।

3. वादी के उक्त प्रार्थना पत्र पर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 11.02.2009 के द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त को धारा 302, 394, 411, 120 बी, भा०दं०सं० के तहत तलब किया गया।

4. आवेदक/अभियुक्त द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर तर्क दिया गया कि प्रार्थी/अभियुक्त का यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र है, इससे पूर्व माननीय न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में कोई अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया है और न ही माननीय न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा खण्डित किया गया और न ही

किसी भी माननीय न्यायालय में कोई अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र विचाराधीन है। प्रार्थी/अभियुक्त बिलकुल निर्दोष है, उसने कोई अपराध किसी प्रकार का नहीं किया है। उसने वादी मुकदमा के भाई बल्ली की गोली मारकर हत्या नहीं की है और न ही उसके साथ कोई लूट की गयी है। अभियुक्त से कोई बरामदगी किसी प्रकार की नहीं हुयी है। वादी मुकदमा के भाई की मृत्यु कारित करने का षडयन्त्र किसी प्रकार का नहीं किया है। उक्त मुकदमा थाना हाजा पर दर्ज होने के पश्चात विवेचक द्वारा वादी मुकदमा गुरविन्द्र सिहं उर्फ सोनू व घटना स्थल का निरीक्षण करना व ब्यान गवाहान दर्शन सिहं व अन्य गवाहान के ब्यान दर्ज किये, जिनमें अभियुक्त की नामजदगी गलत पायी गयी और प्रार्थी/अभियुक्त का नाम उक्त मुकदमे से निकाला गया। प्रार्थी/अभियुक्त का वादी मुकदमा के भाई व अन्य अभियुक्तों से कोई वास्ता मतलब किसी प्रकार का नहीं है और न ही वह उन्हें जानता व पहचानता है। विवेचक द्वारा आरोप पत्र केवल पलविन्द्र सिहं व कश्मीरसिहं के विरूद प्रेषित किया गया है, जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट रूफला, अलीशेर, अजरा व यूसूफ के विरूद लिखायी है। घटना का कोई भी गवाह नहीं दिखाया गया है, जो भी गवाह दिखाये हैं, वह वादी मुकदमा के जान पहचान के दिखाये गये हैं। वादी मुकदमा के द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 319 सी०आर०पी०सी० माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करने के पश्चात अभियुक्त रूफला, अजरा, यूसूफ, अलीशेर व प्रार्थी/अभियुक्त को उपरोक्त धाराओं में तलब किया है। वादी मुकदमा के ब्यान व सम्पूर्ण विवेचना में प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा अपराध करना, उपरोक्त घटना कारित करना साबित नहीं होता है। प्रार्थी/अभियुक्त को माननीय न्यायालय ए० डी० जे०/ एफ०टी०सी० सं० 2, कैराना द्वारा दिनांक 11.2.2009 को तलब किया गया है, किन्तु माननीय न्यायालय द्वारा भेजे गये कोई समन बी०डब्लू० या एन० बी०डब्लू० की तामील किसी प्रकार की नही हुयी है। अब दिंनाक 7.6.2026 को प्रार्थी/अभियुक्त के गांव में दरोगा जी गये और उन्होंने प्रार्थी के भाई के मकान में रखे सामान कुर्सी को तोड़ फोड़ की तो प्रार्थी को उक्त मामले की जानकारी हुयी। घटना दिंनाक 3.2.2005 समय करीब 5 बजे की दिखायी गयी है, जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट दिंनाक 4.2.2025 को समय करीब 8.30 बजे दर्ज करायी गयी है, यानि घटना करीब 15–16 घंटे की देरी से दर्ज करायी है, देरी का कोई कारण प्रथम सूचना रिपोर्ट मे नही दिया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद कोई स्वतन्त्र जन साक्षी नहीं है। अभियुक्त को अग्रिम जमानत मिलने पर प्रार्थी/अभियुक्त विचारण मे पूर्ण सहयोग करेगा। प्रार्थी/अभियुक्त पूर्व सजायापता नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त के फरार होने का कोई अन्देशा नही है, बल्कि प्रार्थी/अभियुक्त माननीय न्यायालय के आदेशो का पूर्ण से पालन करेगा तथा विचारण मे सहयोग करने को तैयार है। वह उचित जमानत व जाति मुचलका देने को तैयार है। उपरोक्त आधार पर आवेदक/ अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने का अनुरोध किया गया है।

5. अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) ने अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र का विरोध किया तथा कथन किया कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा अन्य सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर आपराधिक षड़यन्त्र कर वादी मुकदमा के भाई की हत्या कारित की गई है। दौरान विचारण साक्षी पी०डब्लू० 1 ने प्रस्तुत प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त की संलिप्तता होना बताया है, जिसके आधार पर उसके धारा 319 दं०प्र०सं० के तहत तलब किया गया है। अभियुक्त के विरूद्ध बार–बार प्रोसेस जारी किये गये परन्तु वह न्यायालय उपस्थित नहीं हुआ। अभियुक्त द्वारा विचारण में सहोयग नहीं किया जा रहा है। अभियुक्त द्वारा गम्भीर प्रकृति का अपराध कारित किया गया है। ऐसे में आवेदक/अभियुक्त अग्रिम जमानत का हकदार नहीं है। अतः उसका अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

6. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र का निस्तारण करते समय निम्न बातों पर विचार करना आवश्यक होता है-

(1) अभियोग की प्रकृति एवं गंभीरता।

(2) आवेदक का पूर्ववृत, जिसमें यह तथ्य भी सम्मिलित है कि क्या वह किसी संज्ञेय अपराध के सम्बन्ध में किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध पर पहले ही कारावास भुगत चुका है।

(3) न्याय से भागने की सम्भाव्यता।

(4) जहां आवेदक को उसे इस प्रकार गिरफ्तार कराकर क्षति पहुॅचाने या अपमानित करने के उद्देश्य से अभियोग लगाया गया हो तो आवेदन तत्काल अस्वीकृत कर सकता है या अग्रिम जमानत मंजूर करने के लिए अन्तरिम आदेश जारी कर सकता है।

प्रस्तुत प्रकरण में आवेदक द्वारा विशेष परिस्थिति कि उसकी गिरफ्तारी उसे क्षति पहुंचाने या अपमानित करने के उद्देश्य से अभियोग लगाकर किया जाना है, साबित करनी है।

प्रस्तुत प्रकरण में आवेदक द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में कही भी यह कथन नहीं किया गया कि उसकी गिरफ्तारी उसको अपमानित करने के उद्देश्य से किया जाना है।

7. पत्रावली के अवलोकन विदित है कि प्रस्तुत प्रकरण में न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 319 दं०प्र०सं० पर पारित आदेश दिनांक 11.02.2009 के द्वारा आवेदक/अभियुक्त व चार अन्य को धारा 302, 394, 411, 120 बी भा०दं०सं० के तहत जरिये समन तलब किया गया। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि अभियुक्त के विरूद्ध एन०बी०डब्लू०/धारा 82/83 दं०प्र०सं० की आदेशिका जारी की गई, परन्तु वह न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ। आवेदक/अभियुक्त पर अन्य सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर आपराधिक षड़यंत्र कर वादी मुकदमा के भाई की हत्या कारित करने व उसके साथ लूटपाट करने का आरोप है। वादी मुकदमा/साक्षी पी०डब्लू० 1 ने अपने बयान में आवेदक/अभियुक्त की प्रस्तुत प्रकरण में संलिप्तता को दर्शित किया है, जिसके आधार पर अभियुक्त को उपरोक्त धाराओं में न्यायालय द्वारा तलब किया गया है।

8. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा ***'जय प्रकाश सिंह बनाम स्टेट आफ बिहार', ए0 आई0 आर0 2012 सुप्रीम कोर्ट 1676*** के पैराग्राफ संख्या 13, 14,15, 18 में निम्न विधि प्रतिपादित की गयी है :

"13. There is no substantial difference between Section 438 and 439 Cr.P.C. so far as appreciation of the case as to whether or not a bail is to be granted, is concerned. How-ever, neither anticipatory bail nor regular bail can be granted as a matter of rule. The anticipatory bail being an extraordinary privilege should be granted only in exceptional cases. The judicial discretion conferred upon the court has to be properly exercised after proper application of mind to decide whether it is a fit case for grant of anticipatory bail.

14. In **'State of M.P. and another Vs. Ram Krishna Balothia and another',** AIR 1995 SC 1198, this Court considered the nature of the right of anticipatory bail and observed as under :

"We find it difficult to accept the contention that Section 438 of the Code of Criminal Procedure is an integral part of Article 21. In the first place, there was not provision similar to Section 438 in the old Criminal Procedure Code... Also anticipatory bail cannot be granted as a matter of right. It is essentially a statutory right conferred long after the coming into force of the Constitution. It cannot be considered as an essential ingredient of Article 21 of the Constitution. And its non-application to a certain special category of offences cannot be considered as violative of Article 21."

15. While deciding the aforesaid cases, this Court referred to the 41st Report of the Indian Law Commission dated 24th September, 1969 recommending the introduction of a provision for grant of anticipatory bail wherein it has been observed that "power to grant anticipatory bail should be exercised in very exceptional cases."

18. Parameters for grant of anticipatory bail in a serious offence are required to be satisfied and further while granting such relief, the court must record the reasons therefore. Anticipatory bail can be granted only in exceptional circumstances where the court is primafacie of the view that the applicant has falsely been enroped in the crime and would not misuse his liberty.

In P. Chidambaram vs. Directorate of Enforcement, Criminal Appeal No. 1340 of 2019, decided on September 05, 2019, the Hon'ble Supreme Court has observed that- Ordinarily, arrest is a part of procedure of the investigation to secure not only the presence of the accused but several other purposes. Power u/s 438 Cr.P.C. is an extra ordinary power and the same has to be exercised sparingly. the privilege of the pre-arrest bail should be granted only in exceptional cases. .....Anticipatory bail is not be granted as a matter of rule and it has to be granted only when the Court is convinced that exceptional circumstances exist to resort to that extraordinary remedy.

9. प्रस्तुत प्रकरण के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आवेदक/अभियुक्त पर अन्य सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर आपराधिक षड़यन्त्र कर वादी मुकदमा के भाई की हत्या कारित करने व लूट करने का आरोप है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि अग्रिम जमानत का अनुतोष असाधारण प्रकृति का है और विशेष परिस्थितियों में तथा असाधारण परिस्थितियों में ही अग्रिम जमानत का आदेश न्यायालय को देना चाहिए।

10. प्रस्तुत प्रकरण में ऐसी कोई असाधारण परिस्थितियां नहीं हैं, जिसके आधार पर अग्रिम जमानत आवेदक को प्रदान किया जाये। क्योंकि प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त को वर्ष 2009 में तलब किया गया है, परन्तु वह न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ, इस प्रकार स्पष्ट है कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा विचारण में कोई सहयोग नहीं किया जा रहा है और काफी लम्बे समय बाद उसकी तरफ से यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त पर अन्य सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर आपराधिक षड़यन्त्र कर वादी मुकदमा के भाई की हत्या कारित करने का आरोप है, जो अत्यन्त गम्भीर प्रकृति का अपराध है। ऐसे में यदि आवेदक/अभियुक्त को अग्रिम जमानत प्रदान किया जाता है तो वह जमानत का दुरूपयोग कर सकता है तथा विचारण को प्रभावित कर सकता है। दूसरे, अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र में दर्शाये गये तथ्य संतोषजनक नहीं हैं। तीसरे, आवेदक/अभियुक्त को अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने के लिए विशेष असामान्य परिस्थितियां उत्पन्न नहीं हुई हैं। अतः मामले के तथ्यों, परिस्थितियों एवं अपराध की गम्भीरता व आवेदक/अभियुक्त के उक्त आचरण को दृष्टिगत रखते हुए उसकी तरफ से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा–482 बी०एन०एस०एस० बिना गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किये निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त **नजाकत खान पुत्र मुनफैत** की ओर से सत्र परीक्षण सं०–590/2006, मु०अ०सं०–35/2005 अन्तर्गत धारा–302, 394, 411, 120 बी, भा०दं०सं०, थाना **झिंझाना,** जनपद शामली प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांक–08.07.2026

(सुरेन्द्र कुमार राय)
अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश,
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति
(अत्याचार निवारण) अधि०, शामली।
J.O.Code–UP1761